	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व अपील संख्या 17/2017 अनवान भवानीसिंह बनाम ग्राम पंचायत महाबार	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र मीठड़ा पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 02.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र मीठडा पर पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बाडमेर **आदेश**	
02.05.2018	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत बमुकाम अटल सेवा केन्द्र मीठड़ा पर पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी का कथन है कि सरपंच ग्राम पंचायत मीठडा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 913 (913) में अपीलार्थी का नाम हिन्गोलसिंह अंकित करने में विधिक भूल की गई है। महेशसिंह जो कि भवानीसिंह का पिता है के हिन्गोलसिंह नाम का कोई पुत्र नही होना पाया गया है। नामान्तकरण पारित करने से पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मीठडा द्वारा महेशसिंह के जायज वारिसान की जांच किये बिना नामान्तकरण पारित कर दिया जो विधि सम्मत नही होने से निरस्त योग्य है। अपील पंजीयन कर उत्तरदातागण को नॉटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार बाडमेर से अपील में अंकित तथ्यों के बारे में तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने अपने प्रतिवेदन में अंकित किया कि भवानीसिंह व हिन्गोलसिंह एक ही व्यक्ति है। वास्तविक नाम हिन्गोलसिंह न होकर भवानीसिंह ही है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेजात मे अपीलार्थी का नाम भवानीसिंह अंकित होना पाया गया है। अलट सेवा केन्द्र पर उपस्थित ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त करने पर भी अपीलार्थी का वास्तविक नाम भवानीसिंह होना पाया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पचायत मीठडा द्वारा आदेश जो नामान्तकरण संख्या 913 पर	

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पारित किया गया, को निरस्त किया जाता है। खातेदार महेशसिंह पुत्र पर्बतसिंह की मृत्यु पर उसके एक मात्र भवानीसिंह पुत्र महेशसिंह के नाम पुनः नये सिरे से नामान्तकरण पारित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार नामान्तकरण की कार्रवाई नियमानुसार सम्पन्न कर समस्त राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी भवानीसिंह पुत्र महेशसिंह जाति राजपूत निवासी आईदानपुरा पटवार क्षैत्र मीठड़ा के नाम अमल दरामद सुनिश्चित करावें। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner